GCMS ⇒ 2024/90 ; शेषाराम / ग्राम पंचा. टेवाली

12/11/24 पत्रावली पेश हुई।
स्थगन पत्रावली मूल निगरानी के साथ फिक्स 5/12/24 को पेश हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

5/12/24 पी. आर. [illegible] की [illegible] पत्रावली
निर्णय 26/12/24

26/12/24 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी ने हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है। विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। ऐसी स्थिति में पैर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर इस न्यायालय के नाबद से कम होकर मूल निगरानी के साथ नथी हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली